सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड
प्रेस विज्ञप्ति

देहरादून 30 अप्रैल 2011:

''चाइल्ड एडॉप्शन लॉ'' पर आयोजित कार्यशाला में राज्यपाल का उद्बोधन

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने कहा कि **राज्य में बच्चों को गोद दिलवाने वाली संस्थाओं को चिन्हित व अधिसूचित करते हुए उनकी गतिविधियों के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण की नितान्त आवश्यक्ता है ताकि गोद लिए गये बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।**

उत्तराखण्ड में **चाइल्ड एडॉप्शन** जैसे विशिष्ट विषय पर राज्यपाल की पहल पर प्रथम बार आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि **राज्य के प्रशासनिक तंत्र विशेषतः पुलिस को अपनी भूमिका/दायित्वों के प्रति संवेदनशील होना होगा तभी बच्चों की तस्करी जैसी विकृत व विकराल समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।**

इस महत्वपूर्ण विषय पर आज राजभवन के प्रेक्षागृह में उत्तराखण्ड बाल विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के सहयोग में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में **राज्यपाल ने कहा कि बच्चों की (गोद लिए जाने वाले) सुरक्षा व देखभाल के लिए उत्तराखण्ड को देश के एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना होगा इसके लिए ठोस रणनीति बनानी होगी।** राज्यपाल के इस आह्वान के क्रम में आज के सम्मेलन में जस्टिस (से.नि.) आर. आर. अग्रवाल के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह समिति बच्चों को गोद लेने संबन्धी नियमों, दिशा निर्देशों, प्रक्रिया के निर्धारण, विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वयन तथा बच्चों के पुनर्वास के अनुश्रवण तथा इस विषय पर जनजागरूकता के लिए अपनी प्रचार–प्रसार हेतु बाल कल्याण परिषद् की भूमिका के विषय में अपनी आख्या एक माह के भीतर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेग।

बच्चों को गोद लिए जाने के नियमों की आड़ में असामाजिक व अमानवीय प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उनका यौन शोषण, अंग व्यापार तथा बाल मजदूरी व अन्य अनैतिक/अपराधिक कार्यों में बच्चों को धकेले जाने की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को एकजुट होकर हमारी जनसंख्या के इस सबसे निरीह/असहाय वर्ग को सुरक्षा प्रदान करनी होगी क्योंकि इस पीड़ित वर्ग की आवाज उठाने वाला कोई संगठित समूह नहीं है।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार घटते लिंगानुपात पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्थापित अनेक नियमों के बावजूद साक्षरता की दर में आगे बढ़ते क्षेत्रों में घटती कन्या दर विचलित करने वाली है इससे स्पष्ट होता है कि भ्रूण परीक्षण तकनीकी का दुरूपयोग साक्षरता के साथ–साथ बढ़ रहा है।

राज्यपाल ने जन्म से मृत्यु तक महिलाओं के अस्तित्व व संघर्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक ने महिलाओं के कार्य के बोझ को कम नहीं किया बल्कि 'प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण' तकनीक ने जन्म लेने के अधिकार से भी उसे वंचित कर दिया है। जन्म लेने पर कन्या उपेक्षित, शोषित होने के साथ त्याग भी दी जाती है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ परित्यक्त बच्चों में 90 प्रतिशत लड़कियां हैं जिनको सुरक्षित घर मिलने की उम्मीद कम होती है क्योंकि 2009 में ऐसी केवल 2518 बच्चियों को ही गोद लिया गया।

गोद लेने सम्बन्धी विभिन्न पारंपरिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रथाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने इस संवेदनशील विषय से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों में विद्यमान कमियों व असमानताओं का वर्णन किया। उन्होंने बच्चों को गोद लिए जाने के संदर्भ में समान कानून स्थापित करने सम्बन्धी न्याय आयोग की 153वीं रिपोर्ट में दी गयी संस्तुति का उल्लेख करते हुए बताया कि आयोग की संस्तुतियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

गोद लेने विषयक कानून के सर्वमान्य स्वरूप पर विगत वर्षों से हो रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस दिशा में संसद द्वारा किये गये सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्वयं उन्होंने दो वर्ष तक, गोद लेने सम्बन्धी कानून पर गठित संसदीय समिति का सक्रिय प्रतिनिधित्व किया तथा कानून का एक प्रारूप भी प्रस्तुत किया किन्तु कतिपय कारणों से यह प्रयास भी निष्प्रभावी रहा।

राज्यपाल ने किशोर न्याय अधिनियम द्वारा गोद लेने के नियमों में आये कुछ परिवर्तनों का स्वागत करते हुए कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया को बाल कल्याण के रूप में विकसित किये जाने से ही इस कानून का मकसद पूरा हो सकेगा।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में गोद लेने की प्रक्रिया में निहित खामियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर विचार करने के बाद एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उस पर दृढ़ता से अमल किये जाने का आह्वान किया जिसके क्रम में आज सात सदस्यीय समिति के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

सेमिनार में जस्टिस बी.सी. कांडपाल नें बच्चों के गोद लिए जाने की प्रक्रिया में सुधार की आश्यक्ता व्यक्त करते हुए गोद लेने के लिए ऑन लाइन पंजीकरण की सुविधा विकसित करने की बात कही । समस्त कार्यक्रम का संचालन श्री वी. के. माहेश्वरी द्वारा किया गया।

इस अवसर पर सचिव राज्यपाल श्री अशोक पई, अपर सचिव श्री अरूण के. ढौंढ़ियाल, राज्यपाल की बड़ी बहिन श्रीमती कौरीन रीगो, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 डी. एस. चौहान, श्रीमती नीलम सहगल, राज्य बाल कल्याण परिषद् के उपाध्यक्ष श्री जे. सी. पंत, एस. सी. डोभाल, डा0 पुष्पा मानस, श्री सोलोमन प्रकाश, कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों सहित कानूनी विशेषज्ञ लॉ कॉलेज के संकाय सदस्य व विद्यार्थी, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कहे स्वैच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधि आदि भी उपस्थित थे।

————0————